छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिविल लाईन, जी. ई. रोड, रायपुर-492001

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2009

क्र. याचिका क्र. 2-05/2009/603.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 (1) आदेशित करती है कि कोई भी अनुज्ञप्तिधारी, नियत दिनांक से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर सही मीटर की स्थापना के बिना विद्युत की आपूर्ति नहीं करेगा. चूंकि तत्कालीन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने नियत दिनांक से दो वर्ष के भीतर शतप्रतिशत मीटरीकरण का काम पूरा नहीं किया था, अत: इस आयोग ने अधिनियम की धारा 55 (1) के द्वितीय परंतुक में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य में तत्समय मीटरीकरण की स्थिति, मीटर प्राप्त करने एवं उसकी स्थापना में लगने वाले समय को देखते हुए, आदेश दिनांक 31-01-2008 द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मीटर उपलब्ध कराने हेतु समय सीमा का विस्तार मार्च 2009 के अंत तक कर दिया था. इस आशय की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हुई थी. इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के निवेदन और तत्समय कार्य की प्रगति को ध्यान में रखते हुए आयोग ने समय सीमा मार्च 2007 से बढ़ाकर 30-09-2008 और तत्पश्चात् 31-03-2009 तक बढ़ा दी थी. उस समय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने 31-03-2009 तक शतप्रतिशत मीटरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य अभियंता (संचा/संधा) तथा मुख्य अभियंता (भंडार एवं क्रय) तैयार की गई संयुक्त कार्य योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की थी. मंडल ने पुन: इस कार्य में चूक की है. "

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की उत्तराधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने अब शतप्रतिशत मीटरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय सीमा को 31-03-2010 तक पुन: बढ़ाने की मांग की है. मीटर रहित उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या और इलेक्ट्रो मेकेनिकल मीटरों के इलेक्ट्रानिक मीटरों में प्रतिस्थापन की आवश्यकता को देखते हुए आयोग के अधिनियम की धारा 55 (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा राज्य में मीटरीकरण का कार्य पूरा करने की अवधि को 30-09-2009 तक बढ़ाया गया है.

No. Petition No. 2-05/2009/603.—Section 55(1) of the Electricity Act, 2003 (the Act) mandates that 'no licensee shall supply electricity, after the expiry of two years from the appointed date except through installation of a correct meter.' Since cent percent meterization could not be completed by the erstwhile Chhattisgarh State Electricity Board (CSEB) within two years from the appointed date, this Commission, in exercise of its powers conferred under the second proviso to section 55 (1) of the Act, and looking to the current status of meterization, in the State the time taken in procurement of meters and its installation, had extended the time limit to provide meters for consumers of all categories of CSEB upto end March 2009, vide order dated 31-01-2008. The notification to this effect was published in Chhattisgarh Rajpatra. Before that on the request of CSEB and taking into consideration the progress of work at that time, the Commission had extended the time limit from March 2007 to 30-09-2008 and subsequently up to 31-03-2009. The CSEB then had submitted a joint action plan prepared by the Chief Engineer (O & M) and the Chief Engineer (S&P), to achieve cent percent meterization by 31-03-2009. The Board has again defaulted in this task.

The Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd. (CSPDCL), the successor to CSEB has now requested for further extension of time upto 31-03-2010 for achievement of cent percent meterization. Looking to the large number of un-metered consumers and the requirement of replacement of electro-mechanical meters into electronic meters in large number by the CSPDCL, the Commission, in exercise of power vested under section 55(1) of the Act aforementioned has extended the period of completion of meterization in the State by six months upto 30th September 2009.

आयोग के आदेशानुसार,
एन. के. रूपचन्दानी, सचिव